

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: CEM/2023-24/ 217


दिनांक 30-6-2023

“जयपुर चौपाटी” द्वारका दास मार्ग, मानसरोवर, जयपुर की शेष रही दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आशय/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण (Expression of Interest)

राजस्थान आवासन मण्डल में “जयपुर चौपाटी” मानसरोवर, जयपुर में 03 दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय पारम्परिक भोजन में पारंगत व्यक्तियों से आशय/रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 14-07-2023 तक आमंत्रित की जाती है।

मानसरोवर चौपाटी में आवेदनकर्ता हेतु योग्यताएँ/मापदण्ड दुकान चयन प्रक्रिया, EOI हेतु सामान्य नियम, शर्तें, अनुबंध एवं अन्य जानकारी मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb व sppp.rajasthan.gov.in पर अथवा सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के कार्यालय या कॉल सेन्टर कार्यालय समय में 0141-2744688 एवं 2740009 पर तथा कार्यालय समय उपरान्त 9461054291 एवं 9460254319 पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त दुकानों हेतु आशय/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण में राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्टार्टअप्स को भी अवसर दिया जायेगा।

(UBN No. AHB2324SSSS00184)



अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम



राजस्थान आवासन मण्डल

क्रमांक: CEM/2023-24/217

दिनांक : 30-06-2023

“जयपुर चौपाटी” द्वारका दास मार्ग, मानसरोवर, जयपुर की शेष रही दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु आशय/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण (Expression of Interest)

राजस्थान आवासन मण्डल “जयपुर चौपाटी” मानसरोवर, जयपुर में 03 दुकानों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय पारम्परिक भोजन में पारंगत व्यक्तियों से आशय/रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 14-07-2023 तक आमंत्रित की जाती है।

मानसरोवर चौपाटी में आवेदनकर्ता हेतु योग्यताएँ/मापदण्ड दुकान चयन प्रक्रिया, EOI हेतु सामान्य नियम, शर्तें, अनुबंध एवं अन्य जानकारी मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb व sppp.rajasthan.gov.in पर अथवा सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त, वृत्त-द्वितीय, जयपुर के कार्यालय या कॉल सेन्टर कार्यालय समय में 0141-2744688 एवं 2740009 पर तथा कार्यालय समय उपरान्त 9461054291 एवं 9460254319 पर प्राप्त की जा सकती है। उक्त दुकानों हेतु आशय/रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण में राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्टार्टअप्स को भी अवसर दिया जायेगा। **UBN No. RHB2324SSSS00184**

राज.संवाद/सी/23/4966

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम